

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छात्रों की जागरूकता के स्तर का अध्ययन

अंजलि यादव¹ डॉ. एस. के. त्रिवेदी²

शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा विभाग

1. शोधार्थी श्याम विश्वविद्यालय लालसोट, दौसा, राजस्थान
2. पर्यवेक्षक श्याम विश्वविद्यालय लालसोट, दौसा, राजस्थान

सार—

सूचना का अधिकार लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लाया गया था, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आर0टी0आई0 अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार तथा नागरिक संस्थानों को मिलकर आर0टी0आई0 अधिनियम को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करना चाहिये, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। प्रस्तुत समस्या कथन में विद्यार्थियों में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र हेतु डेटा का संकलन सामाजिक विज्ञान संकाय के 50 छात्रों के माध्यम से किया गया है। यह अध्ययन छात्रों में सूचना का अधिकार के प्रति समझ, उससे सम्बन्धित साहित्य तथा इसके प्रति जागरूकता का ब्योरा प्रस्तुत करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम एक अधिनियम है, जो सामान्य जन को लोक प्राधिकरण, मामलों, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने तथा व्यावहारिक शासन के लिए सूचना प्राप्त करने का एक अधिकार देता है।

प्रस्तावना—

सूचना का अधिकार अधिनियम सूचनाओं तक पहुँचने का एक कानूनी ढाँचा स्थापित करता है। सुशासन के एक उपकरण के रूप में इसकी व्यावहारिक सफलता की कुंजी नागरिकों के हाथों में ही है। नागरिकों का यह बुनियादी दायित्व है कि इस अधिनियम का उपयोग कर यह सुनिश्चित करें कि देश भर में सभी लोक प्राधिकरण एक सुदृढ़ एवं नागरिकों के पक्षधर होकर सूचना प्राप्त कराने वाले ढाँचे को स्थापित कर रहे हैं। आम नागरिक के लिए सूचना का अधिकार एक शक्तिशाली और जीवंत अधिकार बन सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार को मिटाने और सरकार की सेवा प्रदाता व्यवस्था को सुधारने में कामयाब हो, यह सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में इस कानून का उपयोग कर सरकार से सूचना माँगना होगा। यह सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने का सबसे विश्वस्त तरीका है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 58 वर्षों के पश्चात 12 अक्तूबर, 2005 से सूचना के अधिकार द्वारा नागरिकों के लिए लोकतंत्र में संभवतः पहली बार विधि द्वारा स्थापित लोक की सर्वोच्चता कायम की गई। सार्वजनिक संस्थाओं के पास उपलब्ध सूचनाओं पर नागरिकों की हकदारी जैसे साधारण अधिकार के परिणाम दीर्घ और गहन हैं। इस अधिकार से ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अपने परम्परागत समस्याओं में उलझे प्रशासनिक ढाँचे को नई प्रशासनिक संस्कृति स्थापित करने का अवसर मिलता है। अब भारत भी दुनिया के उन 60 देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान कर पारदर्शी, जवाबदेह एवं गुड गवर्नेंस स्थापित करने की चाक चौबंद व्यवस्था की है। पिछले दो वर्षों में इस कानून के कार्यान्वयन के दौरान कानून के दायरे एवं निष्पादन से जुड़े ऐसे मुद्दे आए जिनका समय रहते समाधान आवश्यक है। शायद इसी आकांक्षा को देखते हुए 6 अध्यायों एवं 32 धाराओं के इस छोटे से लेकिन प्रभावशाली कानून की धारा 30 में यह प्रावधान है कि दो वर्ष में कानून का पुनः परीक्षण कर कानून के कार्यान्वयन में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्देश दिए जाएंगे। यह भी नितान्त आवश्यक है कि सूचना के अधिकार कानून के कार्यान्वयन से जुड़ी कुछ अस्पष्टताओं को दूर किया जाए। सारे देश के विविध क्षेत्रों, मीडिया, सिविल सोसाइटी के संगठनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक संस्थाओं में कानून

के विविध प्रावधानों के अर्थ, दायरे को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनका समाधान आवश्यक है। ऐसे कुछ मुद्दों पर विचार एवं विकल्पों की खोज जरूरी है।

भारत में सूचना के अधिकार का इतिहास—

भारत के संविधान की धारा 19 (1) (क) में जानने का अधिकार भी निहित है। इसमें सभी नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार देने की बात है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं अलग से उल्लेख नहीं है। प्रत्येक नागरिक के लिए प्रदत्त इस स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी अंतर्निहित माना गया है। इसी तरह, सूचना के अधिकार को भी इसका अनिवार्य अंग बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार के अनुकूल निर्णय दिए गए हैं जैसे कि—

- हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ 1960, में कहा गया है कि सामान्य हित के विषयों पर विचार और सूचना ग्रहण करने तथा पाने का अधिकार भी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है।
- हिम्मतलाल बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद 1973, मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था—लोकतंत्र की मूल अवधारणा यह है कि नागरिकों की सहमति के आधार पर शासन होना चाहिए। यह सहमति स्वतंत्र और स्वाभाविक होने के साथ ही विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पर्याप्त सूचनाओं और विचार-विमर्श पर आधारित होनी चाहिए।
- सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता वर्ष 1975 के शुरुआत में “उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राज नारायण” से हुई। मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हुई, जिसमें न्यायालय ने अपने आदेश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का व्यौरा जनता को प्रदान करने का व्यवस्था किया। इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया।
- वर्ष 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की विवादस्पद धारा 5 को निरस्त करने की सिफारिश की थी, क्योंकि इसमें कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था कि ‘गुप्त’ क्या है और ‘शासकीय गुप्त बात’ क्या है? इसलिए परिभाषा के अभाव में यह सरकार के निर्णय पर निर्भर था, कि कौन सी बात को गोपनीय माना जाए और किस बात को सार्वजनिक किया जाए। बाद के वर्षों में साल 2006 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित ‘द्वितीय प्रशासनिक आयोग’ ने इस कानून को निरस्त करने का सिफारिश किया।
- इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ, 1985 मामले में उच्चतम ने कहा है कि नागरिकों को सरकार के संचालन सम्बन्धी सूचनाओं के विषय में जानने का अधिकार है।
- 10वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में कहा गया है कि अगर सूचना को अधिकार के तौर पर सभी नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए तो शासन के लिए विकास योजनाओं का कार्यान्वयन आसान हो जाएगा।
- भारत में सूचना के अधिकार के लिए सबसे ठोस, स्पष्ट एवं अनवरत आन्दोलन राजस्थान के किसानों ने चलाया। अरुणा राय एवं निखिल डे के नेतृत्व में हमारा पैसा, हमारा हिसाब आन्दोलन भारत में सूचना के अधिकार का अगुवा बना। 1975 में आईएस की नौकरी छोड़कर जनांदोलनों से जुड़ी अरुणा राय ने 1987 में राजस्थान के देवडूंगरी गाँव में एक संगठन की नींव रखी—‘मजदूर किसान शक्ति संगठन’। भारत के पूर्व एयर मार्शल पी.के.डे. के पुत्र निखिल डे तथा स्थानीय कार्यकर्ता शंकर सिंह की मदद से इस संगठन ने जल्द ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली। इसके नेतृत्व में मजदूरी, आजीविका के साधन तथा जमीन के सवाल पर आन्दोलन तेज हुआ।
- 1989 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद वी पी सिंह की सरकार सत्ता में आई, जिसने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वायदा किया। 3 दिसम्बर 1989 को अपने पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री वी पी सिंह ने संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की। किन्तु वी पी सिंह की सरकार तमाम कोशिश करने के बावजूद भी इसे लागू नहीं कर सकी और यह सरकार भी ज्यादा दिन तक न टिक सकी।
- विकास योजनाओं में गबन तथा कम मजदूरी के खिलाफ 1993 में आरम्भ अभियान ने धीरे-धीरे पारदर्शिता के लिए आन्दोलन का रूप लिया। इसी दौरान, अपना गांव, अपना काम योजना में भारी अनियमितता का भंडाफोड़ करने के लिए इससे सम्बन्धित दस्तावेजों की मांग करते हुए 15 जून, 1994 को भीम राजसमंद में धरना दिया गया। इसी वर्ष जून महीने में पाली जिले के कोट किराना गांव में ग्रामीणों के दबाव में बीडीओ द्वारा की गयी जांच में

फर्जीवाड़े का पता चला। इसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-सुनवाई का अनूठा प्रयोग शुरू हुआ। जन-सुनवाई में दस्तावेजों को ग्रामीणों के बीच जांच के लिए पेश करने पर भारी गडबड़ियों का पता चला। चार जिलों में जन-सुनवाई के आधार पर मजबूत किसान शक्ति संगठन ने भ्रष्ट अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया। लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जानने के अधिकार को लेकर आन्दोलन तेज कर दिया। मई 2000 को राजस्थान विधानसभा ने सूचना का अधिकार कानून पारित किया। इसी दिन पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके वार्ड सभा एवं ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य कर दिया गया। 26 जनवरी, 2001 से राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। राजस्थान को सूचना का अधिकार देने वाले पहले राज्य का श्रेय भले ही न मिला हो, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को पूरे देश में इसकी अवधारणा और उदाहरण पेश करने का ऐतिहासिक गौरव अवश्य प्राप्त हुआ।

- वर्ष 1997 में केन्द्र सरकार ने एच.डी शौरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके मई 1997 में सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया।
- वर्ष 2002 में संसद ने 'सूचना की स्वतंत्रता विधेयक ((फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन बिल) पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान—

- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे।
- प्राप्त सूचना की विषयवस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।
- इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सी0ए0जी0 और निर्वाचन आयोग इलैक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं।
- राष्ट्र की संप्रभुता, एकता-अखण्डता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।

सूचना अधिनियम में संशोधन

केंद्र सरकार ने 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन किया था, जिस पर कई आलोचकों एवं विश्लेषकों का मानना था कि इस कदम से सूचना का अधिकार कानून की मूल भावना ही खतरे में आ जाएगी।

- अधिनियम में मुख्य संशोधन
- संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएंगी।

- उल्लेखनीय है कि आर0टी0आई0 अधिनियम की धारा-13 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों का उपबंध किया गया था। अधिनियम में कहा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और शर्तें क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होंगी। इसमें यह भी उपबंध किया गया था कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमशः निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होगा।

आंकड़ा विश्लेषण

यह अध्ययन मेरठ के स्कूली छात्रों पर किया गया है। छात्रों (उत्तरदाता) ने अपने नाम, आयु के साथ अपने सामाजिक, आर्थिक पक्ष का भी विवरण दिया। जिसके आधार पर उनके विशेष अनुभव का ज्ञान हो पाया, जो हमारे आंकड़ा संग्रह, निष्कर्ष में काफी उपयोगी रहा।

प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त उत्तर के आधार पर प्रस्तुत सारणी-

तालिका 1

प्रश्न-आपकी आयु कितनी है?

चर	वर्ग	प्रतिशत
आयु	20-21	54
	22-23	46

निष्कर्ष-आयु अनुपात में 20-21 वर्ष की छात्रों की संख्या 22-23 के तुलना में अधिक है।

तालिका 2

प्रश्न आपके निवास की पृष्ठभूमि क्या है शहरी या ग्रामीण

चर	वर्ग	प्रतिशत
पृष्ठभूमि	शहरी	15
	ग्रामीण	35

निष्कर्ष-प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण छात्रों की तुलना में शहरी छात्रों का प्रतिशत कम है

तालिका 3

प्रश्न आपके परिवार की मासिक आय कितनी है

चर	वर्ग	प्रतिशत
पारिवारिक मासिक आय	5000	25
	7500	20
	10000	5

निष्कर्ष- 5000-7500 तक पाने वाले पारिवारिक मासिक आय की संख्या अधिक था।

तालिका 4.

प्रश्न आर0टी0आई0 भारत में कब लागू हुआ।

चर	वर्ग	प्रतिशत
सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ	18 अक्टूबर 2004	5
	12 अक्टूबर 2005	25
	15 नवम्बर 2006	15
	पता नहीं	5

निष्कर्ष- प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुपात से अधिक छात्रों को आर0टी0आई0 के लागू होने की सही जानकारी थी।

तालिका 5.

प्रश्न आर0टी0आई0 के सम्बन्ध में कितनी जानकारी है—

चर	वर्ग	प्रतिशत
सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता स्तर	पूर्ण जानकारी	12
	अपूर्ण जानकारी	8
	बहुत कम जानकारी	25
	पता नहीं	5

निष्कर्ष— अनुपात में अधिकांश छात्रों को आर0टी0आई0 के संदर्भ में बहुत कम जानकारी थी।

तालिका 6.

प्रश्न आर0टी0आई0 के सम्बन्ध में किसको जानकारी होनी चाहिए —

चर	वर्ग	प्रतिशत
जानकारी प्राप्त करने का अधिकार	केवल सरकारी कार्यकर्ता को	10
	देश के सभी नागरिक को	35
	गैर सरकारी कार्यकर्ता को	5

निष्कर्ष— पूर्ण रूप से छात्रों ने यह माना है कि आर0टी0आई0 के बारे में देश के सभी नागरिकों को जानने का हक होना चाहिए।

तालिका 7

प्रश्न आर0टी0आई0 हेतु आवेदन शुल्क कितना है—

चर	वर्ग	प्रतिशत
आवेदन शुल्क	10	10
	20	30
	30	5
	पता नहीं	5

निष्कर्ष— छात्रों में आर0टी0आई0 के आवेदन शुल्क की जानकारी का अभाव था।

तालिका 8

प्रश्न आर0टी0आई0 का छात्रों को लाभ कितना होता है—

चर	वर्ग	प्रतिशत
आर0टी0आई0 का छात्रों को लाभ	लाभदायक है।	10
	लाभदायक नहीं है।	30
	आवश्यकता पड़ने पर	5

निष्कर्ष— 15 प्रतिशत छात्र जिन्होंने माना कि आर0टी0आई0 लाभदायक है।

तालिका 9

प्रश्न सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है—

चर	वर्ग	प्रतिशत
भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक	हां	30
	नहीं	10
	थोड़ा बहुत	5
	पता नहीं	5

निष्कर्ष— अनुपात से अधिक छात्रों ने कहा कि सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है।

निष्कर्ष

मानव को प्राप्त अधिकारों के हनन का जिम्मेदार स्वयं मानव है इसका मुख्य कारण शिक्षा अज्ञानता अपने अधिकारों के बारे में जानकारी न होना तथा अपने अधिकारों का हनन होते हुए मूक दर्शक के रूप में देखना। आज आवश्यकता है कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान की जाये। शिक्षा के इस स्तर पर सूचना के अधिकार को विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाय प्राथमिक स्तर से ही बालकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाये। जिससे कि वे उच्च स्तर की कक्षाओं तक पहुँचते पहुँचते इस क्षेत्र में पूरी तरह जागरूक हो सकेंगे। जब हम अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे तो सबसे पहले हम दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे यदि हमारे अधिकारों का हनन हो तो हम संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये सूचनाधिकार आयोग, सूचनाधिकार न्यायालय स्थापित किये गये हैं। जहाँ हम जाकर अपने अधिकारों के विषय में संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अतः अध्ययनकर्ता को इस शोध कार्य के दौरान अनेक पुस्तकों पत्र-पत्रिकाओं के अध्ययन से सूचना के अधिकार के विषय में अनेक जानकारियाँ प्राप्त हुई तथा सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से यह भी ज्ञात हुआ कि छात्र-छात्रायें सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के विषय में कम जानकारी रखते हैं, उन्हें देश की शिक्षा के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची –

- यादव डॉ संजय (2023), सूचना का अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन, आई0जे0सी0आर0टी0, वाल्यूम-11, इश्यू-6।
- काल्सी, उपेन्द्रजीत कौर (2021), 21वीं शताब्दी में भारत में मानवाधिकारों के प्रगति के स्तर का विश्लेषण, नागपुर: शोध ग्रन्थ पी0एच-डी0, नागपुर विश्वविद्यालय।
- त्रिपाठी, टी0पी0 (2023), मानवाधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि, इलाहाबाद: इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।
- भट्ट, केनी (2006), अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार प्राविधानों का भारत में महिलाओं के लिये प्रयास, भावनगर: पी0एच-डी0 शिक्षाशास्त्र, भावनगर विश्वविद्यालय।
- सूचना का अधिकार – मुथ्युस्वामी, बृन्दा, संजीव
- सूचना का अधिकार – शर्मा चेतन प्रकाश
- सूचना का अधिकार अधिनियम – पाण्डे राजेंद्र
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरल शब्दों में-सिंह देवेन्द्र कुमार
- सूचना का अधिकार अधिनियम, एक विवेचन –यादव अभय सिंह
- वर्मा, रुबी (2022), माध्यमिक स्तर पर सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन, उद्धत कु0 प्रियंका (2011), स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन, इलाहाबाद: लघु शोध, एम0एड0, इलाहाबाद: नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय।